उत्तर प्रदेश शासन।

पर्यटन, अनुभाग

संख्या 56/2016/691/41-2016-337 सा0/15

लखनऊ दिनांक 03 मई, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने एवं पूँजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं थीम पार्क/अम्यूजमेंट पार्क जैसी वृहद योजनायें स्थापित करने की आवश्यकताओं के दृष्टिगत थीम पार्क/अम्यूज़मेन्ट पार्क आदि की स्थापना के लिये शासनादेश संख्या-3150/41-2013-37 यो0/2012, दिनांक 06.11.2013 के माध्यम से नीति प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति के क्रियान्यवयन हेतु आगरा में थीम पार्क परियोजना की क्रियान्वयन हेतु नोडल संस्था के रूप में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को नामित किया गया है।

2. आगरा में थीम पार्क परियोजना की अग्रेतर कार्यवाही में होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट्स ओनर एसोसिएशन आगरा द्वारा पत्र संख्या-5257/पी0एस0एम0एस0/जेन/2015, दिनांक 20.05.2015 के माध्यम से तथा नोडल संस्था यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के पत्र संख्या-318-319 एस0आई0डी0सी0, दिनांक 02.12.2015 द्वारा परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कतिपय संशोधनों की आवश्यकता तथा प्रस्तावित सशोधन के दृष्टिगत तथा उक्त प्रख्यापित नीति के प्रस्तर संख्या-2 में एतादारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता हैः-

क (1) राज्य/केन्द्र सरकार अथवा उसके स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था से परियोजना हेतु भूमि के क्रय या पट्टे पर लेने तथा परियोजना से सम्बन्धित समस्त भूमि हस्तान्तरणों पर स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने को यथावत रखा जायेगा।

(2) परियोजना की स्थापना हेतु निर्माण अवधि अथवा 10 वर्ष (जो भी कम हो) राज्य में आयातित किये जाने वाली निर्माण वस्तु/सामग्रियों पर लगने वाले कर में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

(3) परियोजना के संचालन की तिथि से मंनोरंजन कर में 15 वर्ष तक शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

(4) परियोजना के संचालन की तिथि से 15 वर्ष के लिये सुख साधन कर में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

(5) प्रख्यापित नीति में थीम वेस्ड माल को भी समाहित किया जाता है, तथा प्रख्यापित नीति के प्रस्तर-2 में उल्लिखित न्यूनतम क्षेत्रफल 300 एकड़ की बाध्यता को थीम वेस्ड माल के

http://shasanadesh.up.nic.in

मामले में शिथिल किया जाता है। थीम वेस्ड माल के प्रकरण में अनुमन्यता की संस्तुति हेतु प्रमुख सचिव, पर्यटन की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जायेगाः-

1.	प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/ सचिव, संस्कृति विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	सदस्य
4.	महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0	सदस्य/संयोजक
5.	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0 पर्यटन विकास नि0लि0	सदस्य

ख. प्रख्यापित नीति के प्रस्तर संख्या-4 में उल्लिखित परियोजना में राज्य सरकार की किसी सार्वजनिक उपक्रम/एस0पी0बी0 अथवा कम्पनी की भागीदारी की सीमा को परियोजना के लिये आवश्यक भूमि की लागत के अधिकतम 20 प्रतिशत के स्थान पर न्यूनतम 20 प्रतिशत किया जाता है।

ग. कार्यदायी संस्था द्वारा भूमि का मूल्य निर्धारित करते समय थीम पार्क की स्थापना हेतु किये गये समस्त व्यय (भूमि मूल्य सहित) पर सेन्टेज चार्ज के रूप में 1 प्रतिशत की धनराशि भारित की जायेगी।

घ. कार्यदायी संस्था द्वारा भूमि अधिग्रहण के उपरान्त एस0पी0वी0 को भूमि नियमानुसार फ्री-होल्ड भूमि के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिये नियमानुसार फ्री-होल्ड शुल्क देय होगा।

च. उपरोक्त संशोधन/परिवर्तन पूर्व शासनादेश दिनांक-06 नवम्बर, 2013 की तिथि से ही प्रभावी होगी।

छ. यदि उक्त परियोजना ऐसे सार्वजनिक उपक्रम द्वारा लागू की जाती है जो कि किसी अन्य अधिनियम से आच्छादित हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अधिनियम में विद्यमान शर्ते उस परियोजना पर लागू होंगी।

3. थीम पार्क/अम्यूज़मेन्ट पार्क आदि की स्थापना के लिये निर्गत शासनादेश संख्या-3150/41-2013-37 यो0/2012, दिनांक 06.11.2013 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त् शासनादेश में उल्लिखित शर्ते एवं अनुबन्ध यथावत रहेंगे।

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव

<u>संख्या 56/2016/691(1)/41-2016 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रमुख स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/वित्त विभाग/ संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग/राजस्व विभाग/स्टाम्प ट्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/वाणिज्य कर विभाग एवं मनोरंजन कर विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- समस्त मण्लायुक्त।

4- समस्त जिलाधिकारी।

5- महानिदेशक, पर्यटन।

6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 कानपुर।

7 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

8- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे अथारिटी, गौतमबुद्ध नगर।

9- मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।

10- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब- साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।

11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) थीम पार्क/एम्यूजमेंट पार्क की स्थापना हेतु न्यनूतम 300.00 एकड़ भूमि की बाध्यता दर्शायी गयी है। वर्तमान परिस्थितियों में इतने क्षेत्रफल भूमि की व्यवस्था अत्यधिक कठिन है एवं इसमें अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होगी क्योंकि नये भूमि अधिग्रहण अधिनियम में भूमि की दर काफी बढ़ गई है। अतः इस हेतु न्यूनतम 100.00 एकड़ की सीमा निर्धारित की जायें।

(2) राज्य सरकार द्वारा अपनी भागीदारी भूमि लागत के 20 प्रतिशत तक सीमित रखी गई है जो बहुत ही कम है। ऐसी परियोजनाओं में भूमि लागत कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तथा ऐसी स्थिति में शासन की वास्तविक भागीदारी परियोजना की कुल लागत के 2 से 3 प्रतिशत तक सीमित हो जाती है। इस सम्बन्ध में प्रस्तावित है कि शासन की भागीदारी कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अथवा भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हों, निर्धारित किया जाय। भागीदारी परियोजना के लाभ अर्जित करने तक जारी रहना चाहिए। यह प्राविधान अति आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार की परियोजनायें दीर्घकालिक होती हैं एवं इनकी लागत काफी अधिक होती है। निवेशक द्वारा अधिक धनराशि का तत्काल निवेश करने पर परियोजना वाईबल नहीं रहेगी।

(3) भूमि की उपलब्धता फ्री होल्ड के आधार पर कराई जाय, जिससे निवेशकर्ता को विभिन्न अनुमति हेतु बार-बार सम्बन्धित शासकीय निकायों के पास न जाना पड़े। यदि भूमि को फ्री-होल्ड करने की स्थिति में किसी शुल्क के भुगतान की बाध्यता हो तो इस शुल्क की धनराशि का समायोजन इक्विटी के रूप में किया जाये जो पूर्व में उल्लिखित भागीदारी के अतिरिक्त होगी।

(4) शासनादेश में यह भी प्राविधान किया जाना उचित होगा कि भूमि उपलब्ध कराये जाने वाले निकाय द्वारा भूमि मूल्य पर कोई सेन्टेज चार्जेज न लिया जाय। यदि अपरिहार्य स्थिति में सेन्टेज चार्ज लेने की बाध्यता हो, तो इसकी वसूली सांकेतिक रूप से जैसे-कुल भूमि मूल्य का एक प्रतिशत रखा जाये तथा इसका समायोजन भी इक्विटी की

रूप में किया जाये। इसी प्रकार एफ0ए0आर0 योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर औसत 0.5 के स्थान पर 1.0 एवं ग्राउन्ड कवरेज 20 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत अनुमन्य किया जाये। यदि आवश्यकता हो तो उपरोक्त प्रस्तावित बढ़ी हूई एफ0ए0आर0 क्रय योग्य किया जा सकता है, जिसकी धनराशि का समायोजन भी शासन के इक्विटी के रूप में किया जाये।

(5) शासनादेश में स्टाम्प शुल्क की छूट का उल्लेख किया गया है जिसे और अधिक स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की परियोजनायें दीर्घकालीक होती है, अतः स्टाम्प छूट हेतु समय-

http://shasanadesh.up.nic.in

सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे परियोजना पूर्ण होने के समय तक रखी जाये, जिससे बाद में किसी भ्रम की स्थिति न आये। साथ ही साथ स्टाम्प छूट भूमि से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्यकलापों पर होना चाहिए।

(6) मनोरंजन कर एवं सुख-साधन कर में छूट की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष किया जाये, जिससे परियोजना में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हो सके।

3. नोडल संस्था यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के पत्र संख्या-318-319 एस0आई0डी0 सी0, दिनांक-02.12.2015 के माध्यम से यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा प्रख्यापित नीति के प्रस्तर-2 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किया गयाः-

1क. राज्य/केन्द्र सरकार अथवा उसके स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था से परियोजना हेतु भूमि के क्रय या पट्टे पर लेने पर स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी, थीम पार्क परियोजना से सम्बन्धित भूमि के समस्त हस्तान्तरणों में उक्त छूट अनुमन्य होगी।

ख. परियोजना की स्थापना हेतु निर्माण अवधि अथवा 15 वर्ष (जो भी कम हो) राज्य में आयातित किये जाने वाली निर्माण वस्तु/सामग्रियों पर लगने वाले कर में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

ग. परियोजना के संचालन की तिथि से मंनोरंजन कर में 15 वर्ष तक शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

घ. परियोजना के संचालन की तिथि से 15 वर्ष के लिये सुख साधन कर में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

च. उपरोक्त प्रोत्साहन केवल उन्हीं थीम पार्क/अम्यूजमेंट पार्क परियोजनाओं का अनुमन्य होगें, जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल 300 एकड़ तथा जिनमें न्यूनतम पूॅजी निवेश रू0 500.00 करोड़ होगा।

छ. प्रस्तर-4 में उल्लिखित परियोजना में राज्य सरकार की किसी सार्वजनिक उपक्रम/एस0पी0बी0 अथवा कम्पनी की भागीदारी की सीमा को परियोजना के लिये आवश्यक भूमि की लागत के अधिकतम 20 प्रतिशत के स्थान पर न्यूनतम 20 प्रतिशत किया जाना।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उपरोक्त के अतिरिक्त नोडल संस्था द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त बिन्दुआंे को प्रख्यापित नीति में समाहित किया जाना प्रस्तावित किया गया है:-

(क) कार्यदायी संस्था द्वारा भूमि अधिग्रहण के उपरान्त एस0पी0वी को भूमि फ्री-होल्ड भूमि के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिये नियमानुसार फ्री-होल्ड भूमि के रुप में उपलब्ध करायी जायेगी जिसके लिए नियमानुसार फ्री-होल्ड शुल्क देय होगा।

(ख) कार्यदायी संस्था द्वारा भूमि का मूल्य निर्धारित करते समय थीम पार्क की स्थापना हेतु किये गये समस्त व्यय (भूमि मूल्य सहित) पर सेन्टेज चार्ज के रूप में 1 प्रतिशत की धनराशि भारित की जायेगी।

(ग) उपरोक्त संशोधन/परिवर्तन पूर्व शासनादेश दिनांक-06 नवम्बर, 2013 की तिथि से ही प्रभावी होगी।

(घ) यू0पी0एस0आई0डी0सी0 चूॅकि निगम यूपीसीडा के अन्तर्गत कार्य करता है एवं यूपीसीडा के नियमों से आच्छादित है अतः निगम स्तर से उपरोक्त बिन्दु संख्या-5 (ख) में एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित संशोधन में यह अतिरिक्त बिन्दु प्रस्तावित है कि ''यदि उक्त परियोजना ऐसे सार्वजनिक उपक्रम द्वारा लागू की जाती है जो कि किसी अन्य अधिनियम से आच्छादित हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अधिनियम में विद्यमान शर्तें उस परियोजना पर लागू होंगी।''

(च) शासनादेश में ''थीम पार्क आदि'' शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः इसमें वेनिस, लाॅस वेगास, मकाऊ आदि थीम पर बने अथवा बनने वाले थीम वेस्ड माॅल को भी इस शासनादेश के अन्तर्गत समाविष्ट किया जाये।

4. अतः उपरोक्त के क्रम में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल संस्था यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के पत्र संख्या-318-319 एस0आई0डी0सी0, दिनांक 02.12.2015 के माध्यम से नीति में प्रस्तावित संशोधन पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 20.01.2016 को निम्नलिखित संशोधनों एवं अतिरिक्त बिन्दुओं को समाहित किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गयाः-

क प्रख्यापित नीति के प्रस्तर संख्या-2 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित हैः-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) राज्य/केन्द्र सरकार अथवा उसके स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था से परियोजना हेतु भूमि के क्रय या पट्टे पर लेने तथा परियोजना से सम्बन्धित समस्त भूमि हस्तान्तरणों पर स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने को यथावत रखा जायेगा।

(2) परियोजना की स्थापना हेतु निर्माण अवधि अथवा 10 वर्ष (जो भी कम हो) राज्य में आयातित किये जाने वाली निर्माण वस्तु/सामग्रियों पर लगने वाले कर में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

(3) परियोजना के संचालन की तिथि से मंनोरंजन कर में 15 वर्ष तक शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

(4) परियोजना के संचालन की तिथि से 15 वर्ष के लिये सुख साधन कर में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

(5) प्रख्यापित नीति में थीम वेस्ड माल को भी समाहित किया जाय तथा प्रख्यापित नीति के प्रस्तर-2 में उल्लिखित न्यूनतम क्षेत्रफल 300 एकड़ की बाध्यता को थीम वेस्ड माल के मामले में शिथिल किया जायेगा। थीम वेस्ड माल के प्रकरण में अनुमन्यता की संस्तुति हेतु प्रमुख सचिव, पर्यटन की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जायेगाः-

1. प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन विभाग अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/ सचिव, संस्कृति विभाग सदस्य
3. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग सदस्य
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 सदस्य/संयोजक
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0पर्यटन विकास नि0 लि0 सदस्य

ख. प्रख्यापित नीति के प्रस्तर संख्या-4 में उल्लिखित परियोजना में राज्य सरकार की किसी सार्वजनिक उपक्रम/एस0पी0बी0 अथवा कम्पनी की भागीदारी की सीमा को परियोजना के लिये आवश्यक भूमि की लागत के अधिकतम 20 प्रतिशत के स्थान पर न्यूनतम .20 प्रतिशत किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

ग. कार्यदायी संस्था द्वारा भूमि का मूल्य निर्धारित करते समय थीम पार्क की स्थापना हेतु किये गये समस्त व्यय (भूमि मूल्य सहित) पर सेन्टेज चार्ज के रूप में 1 प्रतिशत की धनराशि भारित की जायेगी।

घ. कार्यदायी संस्था द्वारा भूमि अधिग्रहण के उपरान्त एस0पी0वी को भूमि नियमानुसार फ्री-होल्ड भूमि के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिये नियमानुसार फ्री-होल्ड शुल्क देय होगा।

च. उपरोक्त संशोधन/परिवर्तन पूर्व शासनादेश दिनांक-06 नवम्बर, 2013 की तिथि से ही प्रभावी होगी।

छ. यदि उक्त परियोजना ऐसे सार्वजनिक उपक्रम द्वारा लागू की जाती है जो कि किसी अन्य अधिनियम से आच्छादित हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अधिनियम में विद्यमान शर्ते उस परियोजना पर लागू होंगी।

5. अन्तर्विभागीय मत:-

विभाग विभागीय अभिमत

(क) न्याय विभाग का अभिमत

इस सम्बन्ध में अन्यथा किसी भी मा0 न्यायालय का आदेश न होने पर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थीम पार्क/अम्यूजमेंट पार्क आदि की स्थापना हेतु प्राख्यापित नीति में संशोधन के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद के उपयोगार्थ प्रस्तुत टिप्पणी पर तद्नुसार न्याय विभाग द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है। सहमत।

मा0 न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) वित्त विभाग का अभिमत

प्रस्ताव पर वित्त विभाग की अनापत्ति है। सहमत।

(ग) संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन

विभाग का अभिमत

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थीम पार्क/अम्यूजमेंट पार्क आदि की स्थापना हेतु मा0 मंत्रिपरिषद की टिप्पणी में इस विभाग से सम्बन्धित कोई बिन्दु निहित नही है। अतएव इस पर संस्थागत वित्त द्वारा कोई अभिमत नही दिया जा सकता है, तथापि प्रस्ताव पर विभाग को कोई आपत्ति नही है। सहमत।

(घ) राजस्व विभाग का अभिमत

''प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थीम पार्क/अम्यूजमेंट पार्क आदि की स्थापना हेतु प्रख्यापित नीति में संशोधन के प्रस्ताव पर राजस्व विभाग की अनापत्ति इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि ग्राम सभा भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित 2015 के अधीन की जायेगी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 से शासित भूमि का मालिकाना हक राजस्व विभाग में निहित होगा। कास्तकारों की निजी भूमि के भू-अर्जन एवं अर्जित भूमि के हस्तान्तरण की दशा में भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन मंे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर, पुनर्वासन तथा पुनस्र्थापन लाभ देय होंगे तथा संगत शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अधीन की जायेगी। सीलिंग की भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 तथा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली 1961 के अधीन की जायेगी। भू-दान भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 सुसंगत नियमावली व शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार की जायेगी। राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पति के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कार्यवाही सरकारी सम्पत्ति से सम्बन्धित नियमावली तथा संगत शासनादेशों के आलोक में की जायेगी। राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन भूमि के हस्तान्तरण/कार्यवाही किये जाने से पूर्व राजस्व विभाग की सहमति प्राप्त की जाय। भू-राजस्व विधियों/अधिनियमों से विचलन की दशा में पर्यटन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को अलग से उपलबध कराया जायेगा।'' सहमत।

(ड़) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का अभिमत

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थीम पार्क/अम्यूजमेंट पार्क आदि की स्थापना हेतु प्राख्यापित नीति में संशोधन के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णयार्थ पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी पर औद्योगिक विकास विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गयी हैं सहमत।

(च) स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्टे$शन शुल्क

http://shasanadesh.up.nic.in

विभाग का अभिमत

मा0 मंत्रिपरिषद की टिप्पणी में थीम पार्क/एम्यूजमेन्ट पार्क/थीम वेस्ड माल का स्पष्ट रूप से परिभाषित होना प्रतीत नही होता हैै। स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत स्टाम्प-शुल्क के रूप में वस्तुत करारोपण का कार्य किया जाता है। अतः इसमें अत्यन्त आवश्यक एवं जनोपयोगी परियोजनाओं के लिए ही दिया जाना उचित है तथा इन परियोजनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना भी आवश्यक है, जिससे छूट का दुरूपयोग न हो सके तथा राज्य को राजस्व की क्षति न हो।

उपरोक्त परियोजनाओं की स्पष्ट परिभाषा के अभाव में यह परियोजना अभिजात वर्ग के व्यक्तियों द्वारा उसी वर्ग के व्यक्तियों के उपयोग के लिए प्रतीत होती है, जिसका जन सामान्य के लिए उपयोगी होना प्रतीत नही होता है। ऐसी दशा में इन परियेाजनाओं में निहित सम्पत्तियों के अन्तरण पर स्टाम्प शुल्क के छूट दिये जाने का औचित्य प्रतीत नही होता है।

थीम पार्क/अम्यूज़मेन्ट पार्क आदि की स्थापना के लिये शासनादेश संख्या- 3150/41-2013-37 यो0 /2012, दिनांक 06.11.2013 के माध्यम से प्रख्यापित की गयी नीति के अनुसार इन परियेाजनाओं निहित सम्पत्तियों के अन्तरण पर स्टाम्प शुल्क के छूट दिया जाना प्राविधानित है तथा इस प्रकार की वृहद परियोजनाओं की स्थापना में बडी मात्रा में पूंजीनिवेश साथ ही साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन भी होगा तथा प्रदेश में पर्यटन आकर्षणों में वृद्धि एवं पर्यटको की आगमन संख्या में भी वृद्धि होगी। पर्यटको द्वारा प्रवास अवधि विविध प्रकार के व्यय किये जाते है जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के राजस्व प्राप्ति में योगदान देते हैं। पर्यटको की आगमन संख्या तथा प्रवास अवधि में वृद्धि हेतु इस प्रकार की परियोजनाओं की नितान्त आवश्यकता है। अतः इन परियेाजनाओं में निहित सम्पत्तियों के अन्तरण पर स्टाम्प शुल्क के छूट दिया जाना तथा पूर्व में प्रख्यापित नीति के प्राविधानों में थीम बेस्ड माल को भी समाहित किया जाना आवश्यक है।

(छ) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

का अभिमत

थीम पार्क एम्यूजमेंट पार्क सम्बन्धी नीति विषयक शासनादेश दिनाॅक 06.11.2013 के प्रस्तर-5 में उल्लेख है कि प्रस्तावित थीम पार्क/एम्यूयमेंट पार्क क अन्तर्गत समस्त विकास, प्रदर्शन

http://shasanadesh.up.nic.in

(क्पेचसंल) भवन एवं गतिविधियां इत्यादि एक केन्द्रीय विषय (ब्मदजतंस ज्ीमउम) अथवा विषय विशेष पर आधारित होगी तथा विषय के आधार पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न पार्क हो सकते है। इसी प्रस्तर के उप प्रस्तर (क) में स्पष्ट प्राविधान है कि थीम पार्क/एम्यूजमेंट पार्क के अन्तर्गत थीम पार्क से सम्बन्धित आधारभूत क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य क्रियाएं यथा-कन्वेशन सेन्टर, होटल, शाॅपिंग काम्पलेक्स रेस्टोरेन्ट, फिल्म स्टूडियों मल्टीप्लेक्स इत्यादि सम्मिलित रहेगे। उक्त से स्पष्ट है कि थीम पार्क/एम्यूजमेंट पार्क के अन्तर्गत शापिंग माल मल्टीप्लेक्स आदि व्यवसायिक क्रियाएं पूर्व से ही अनुमन्य है। अतः अलग से थीम बेस्ट माल को समाहित किऐ जाने की आवश्यकता एवं औचित्य स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में विभाग का सुझाव है कि थीम बेस्ड माल को परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि इसका अभिप्राय स्पष्ट हो सके।

2. नीति में प्रस्तावित अन्य संशोधनों के अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रम/ए0पी0वी0 अथवा कम्पनी की भागीदारी की सीमा को परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की लागत अधिकतम 20 प्रतिशत के स्थान पर न्यूनतम 20 प्रतिशत किये जाने सेन्टेज चार्ज के रूप में समस्त व्यय (भूमि मूल्य सहित) की 1 प्रतिशत की धनराशि भारित किए जाने एस0पी0वी0 को नियमानुसार फ्री-होल्ड भूमि उपलब्ध कराया जाना तथा उक्त संशोधनों को पूर्व शासनादेश दिनाॅक 06.11.2013 की तिथि से प्रभावी किए जाने के प्रस्ताव है, जिसमें कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती है। थीम बेस्ड माल से आशय यह है कि विदेशों में भिन्न-भिन्न विशेषताओं एवं आकर्षणों से भरपूर स्थान/शहर हैं, जो कि पर्यटक आकर्षण के दृष्टिकोण से विशेष स्थान रखते हैं। प्रदेश के नागरिको तथा आने वाले पर्यटकों को विदेशों में स्थित विशेष पर्यटक आकर्षणों तथा शहरों की अनुभूति/ अनुभव कराये जाने हेतु सम्बन्धित पर्यटक आकर्षणों तथा शहरों के थीम तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए विशेष मालों का निर्माण किया जायेगा। इस प्रकार के मालों से प्रदेश में पर्यटन आकर्षणों में वृद्धि होगी तथा पर्यटको की आगमन संख्या में भी वृद्धि होगी। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अभिमत के प्रस्तर-2 पर विभाग सहमत है।

(ज) वाणिज्य कर विभाग का अभिमत

''किसी परियोजना के निर्माण में उपयोग हेतु परियोजना द्वारा प्रान्त बाहर से क्रय की गयी किसी भी सामग्री पर उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, ,2008 के अन्तर्गत कोई वैट देय नही है। उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत आयरन एवं स्टील के

http://shasanadesh.up.nic.in

अतिरिक्त अन्य किसी भवन सामग्री पर प्रवेश कर की देयता नही है। उ0प्र0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के प्रस्तर-5.2.1 में लिए गये निर्णय के क्रम में आयरन एण्ड स्टील पर प्रवेश कर की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी गयी है। इस प्रकार आयरन एण्ड स्टील पर वर्तमान मात्र 1 प्रतिशत प्रवेश कर की देयता है। अतः प्रवेश कर के सम्बन्ध में अब और कोई छूट दिये जाने का औचित्य प्रतीत नही होता है। प्रवेश कर में छूट दिये जाने की स्थिति में इसके सापेक्ष राजस्व प्राप्त नही होगा'' थीम पार्क/अम्यूज़मेन्ट पार्क आदि एक वृहद स्वरूप की परियोजनाएं है तथा इसमें पूंजीनिवेश भी बडी मात्रा में किया जायेगा एवं इस प्रकार के परियोजनाओं के निर्माण से प्रदेश में पर्यटन आकर्षणों में वृद्धि होगी तथा पर्यटको की आगमन संख्या में भी वृद्धि होगी। पर्यटको द्वारा प्रवास अवधि विविध प्रकार के व्यय किये जाते है जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के राजस्व प्राप्ति में योगदान देते हैं। अतः पर्यटको की आगमन संख्या में वृद्धि हेतु इस प्रकार की परियोजनाओं की नितान्त आवश्यकता है।

थीम पार्क पालिसी के अन्तर्गत मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में थीम पार्क/अम्यूज़मेन्ट पार्क आदि की स्थापना के लिये शासनादेश संख्या-3150/41-2013-37यो0/2012, दिनांक 06.11.2013 के माध्यम से प्रख्यापित की गयी नीति के अनुसार प्रवेश कर में शत-प्रतिशत की छूट दिया जाना प्राविधानित है। अतः थीम पार्क परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन स्वरूप प्रवेश कर में शत-प्रतिशत की छूट दिया जाना तथा पूर्व में प्रख्यापित नीति के प्राविधानों में थीम बेस्ड माल को भी समाहित किया जाना आवश्यक है।

(झ) मनोरंजन कर विभाग का अभिमत

थीम पार्क/अम्यूजमेंट पार्क आदि की स्थापना हेतु प्राख्यापित नीति में संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावित मा0 मंत्रिपरिषद की टिप्पणी में मनोरंजन कर विभाग से सम्बन्धित बिन्दु पर उक्त प्रस्तर-5 में उल्लिखित विभागीय अभिमत निम्नवत है-

''उक्त छूट प्रदान किये जाने से प्राप्त होने वाले विभागीय राजस्व से वंचित होना पड़ेगा।
''

चूंकि यह एक वृहद परियोजना है तथा इसमें पूंजीनिवेश भी बडी मात्रा में किया जायेगा एवं इस प्रकार के परियोजनाओं के निर्माण से प्रदेश में पर्यटन आकर्षणों में वृद्धि होगी तथा पर्यटको की आगमन संख्या में भी वृद्धि होगी। पर्यटको द्वारा प्रवास अवधि विविध प्रकार के व्यय किये जाते है जो

http://shasanadesh.up.nic.in

कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के राजस्व प्राप्ति में योगदान देते हैं। अतः पर्यटको की आगमन संख्या में वृद्धि हेतु इस प्रकार की परियोजनाओं की नितान्त आवश्यकता है। अतः थीम पार्क परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन स्वरूप मनोरंजन कर में 15 वर्षों के लिए शत-प्रतिशत की छूट दिया जाना आवश्यक है तथा पूर्व से ही थीम पार्क/अम्यूज़मेन्ट पार्क आदि की स्थापना के लिये शासनादेश संख्या-3150/41-2013-37यो0/2012, दिनांक-06.11.2013 के माध्यम से प्रख्यापित की गयी नीति के अनुसार मनोरंजन कर में शत-प्रतिशत की छूट दिया जाना प्राविधानित है। अतः पूर्व में प्रख्यापित नीति के प्राविधानों में थीम बेस्ड माल को भी समाहित किया जाना आवश्यक है।

6. प्रस्तुत टिप्पणी को मा0 पर्यटन मंत्री जी द्वारा अवलोकित कर लिया गया है।

7. परामर्शी विभागों के अभिमत के आलोक में मा0 मंत्रिपरिषद की टिप्पणी के प्रस्तर-4 पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन निवेदित है।

नोडल संस्था यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के पत्र संख्या-318-319 एस0आई0डी0सी0, दिनांक 02.12.2015 के माध्यम से नीति में निम्नलिखित संशोधनों एवं अतिरिक्त बिन्दुओं को समाहित किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गयाः-

क

http://shasanadesh.up.nic.in